न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 206 / 2016

उनवान

1. शंकर लाल पुत्र मोहन लाल गर्ग , निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. रतन लाल पुत्र शंकर लाल गर्ग निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. भैरू लाल पुत्र शंकर लाल गर्ग निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. विनोद कुमार पुत्र शंकर लाल गर्ग निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ, जिला भीलवाडा
5. उपपंजीयक, हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 28 / 2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6.6.2016

अभिभाषक : 1. श्री राकेश सुराणा , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री एस एन मारू, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 3
3.श्री राधेश्याम शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
4. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

आदेश

दिनांक 27.10.2017

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :-

शंकरलाल पुत्र मोहन लाल गर्ग प्र.सं.1

रतन लाल पुत्र वादी	भैरू लाल पुत्र प्रतिवादी सं.2	विनोद कुमार पुत्र प्रतिवादीसंख्या 3

2. शंकर लाल जी के 3 पुत्र रतन लाल, भैरू लाल, व विनोद कुमार हुए अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र व मोहन पुत्र गणेश गर्ग क पौत्र होकर प्रथम श्रेणी के वारिस है।

3. मंगरोप पटवार हल्का तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में खतौनी नम्बर 982 में आराजी नम्बर 2001 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 2033 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 2034 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, आराजीनम्बर 2035 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 2036 रकबा 4 बीघा, आराजी नम्बर 2037 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 2038 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 4331/2034 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 शंकर लाल पुत्र मोहन लाल गर्ग के नाम पर दर्ज है। उक्त वर्णित आराजियात वादी एवं प्रतवादी संख्या 1 लगायत 3 की पैतृक आराजियात है जिसमें वादी का जन्म से ही

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिकार निहित है। वादग्रसत आराजियात प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोहन पुत्र गणेश गर्ग के जमाने की होकर उनके नाम पर जमाबंदी में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की पैतृक आराजियात है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 संयुक्त रूप से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित आराजियात में वादी एंवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक हिस्सा निहित है तथा इसी अनुसार वे काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2व 3 का पिता है जो अपने पुत्र प्रतिवादी संखय 2 व 3 की सिखावट एवं बहकावे में है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 1 की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने का फायदा उठाने की गरज से उक्त वादग्रस्त भूमि को कोडियो के भाव में अपने आधिपत्य में करने की गरज से अपने दबाव में एवं प्रभाव में ले रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वादग्रस्त आराजियात उसके नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण विक्रय कर नशीले पदार्थो आदि में उडा देना चाहता है तथा वादी को उसके जायक हक से वंचित करना चाहता है। इसी गरज से आये दिन लोगों को लाकर उक्त आराजियात को विक्रय करना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 1 को उसके परिवार के पारिवारिक खर्चे हेतु कोई रकम की जरूरत नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की पुश्तैनी आराजी नम्बर 2033 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा में से 01 बीघा भूमि को बेच दी व उक्त शेष भूमि को भी बेचने पर आमादा है। 13 मार्च 2016 को प्रतिवादी संख्या 1 न वादी को उसके हिस्से की भूमि को बेचने एवं उसके हिस्से से बेदखल करन की धमकी दी । अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादग्रस्त आराजियात को विक्रय एवं खुर्द बुर्द नहीं करें एवं प्रतिवादीगण वादी का अपाने हिस्से की आराजी से बेदखल नहीं करे। तथा वादी को अपने हिस्से की 1/4 आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर ग्राम हमीरगढ की आराजी संख्या 2001, 2033 लगायत 2038, 4331/20134 कुल किता 8 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से 1/4 हिस्से का स्वयं को खातेदार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द हेतु प्रस्तुत किया । प्रकरण दर्ज किया गया एवं प्रकरण में प्रतिवादीगण को नोटिस/सम्मन जारी करने की आदेशिका के साथ आगामी पेशी दिनांक 24.5.2016 नियत की गई। इसके बाद नोटिस बाद तामिल या अदम तामिल न्यायालय में प्राप्त हुए या नहीं इस संबंध में कोई आदेशिका नहीं लिखी गई एवं दिनांक6.6. 2016 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प मंगरोप में रखी जाकर वादग्रस्त आराजियात में से वादी व प्रतिवादीगण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया गया । न ही अपीलार्थी के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थिति ही दर्ज की गई। अपीलार्थी खातेदार काश्तकार हाकर भूमि पर उसका कब्जा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा नहीं बनता है। सम्पूर्ण आराजियात पुश्तैनी नहीं है। बिना काउण्टर क्लेम प्रत्यर्थी संख्या 2, 3 का नाम भी हक हिस्से अनुसार दर्ज करने का आदेश पारित कर विधिक त्रुटि की है। बिना किसी आधार के मनमकसूद तरीके से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

6. प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक आराजियात होकर उभयपक्ष का 1/4, 1/4 हक हिस्सा निहित है। उसी अनुसार उभयपक्ष अपने अपने हक हिस्से पर काबिज है। अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी को जो कि राजस्व रेकार्ड में उसके नाम पर दर्ज होने से विक्रय करने पर आमादा है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। पैतृक आराजियात होने से सभी पक्षकारों का उसमें हक अधिकार जन्म से ही निहित है। यदि अपीलार्थी वादग्रस्त आराजियात को बिना किसी आवश्यकता के विक्रय कर देता है तो प्रत्यर्थीगण अपने हक अधिकारों से वंचित रह जायेगें। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण किये जाने से अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया था। प्रकरण मे अपीलार्थी को विधिवत नोटिस की तामिल भी नहीं हुई थीं एवं न ही अपीलार्थी के उपस्थित होने अथवा अनुपस्थित होने संबंधी इन्द्राज ही आदेशिका में किया गया । प्रकरण प्रथम पेशी पर ही राजस्व लोक अदालत केम्प मंगरोप में निस्तारित कर दिया । पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजियात पैतृक आराजियात हैं जिसमें वादी का हक अधिकार जन्म से निहित होना प्रतीत होता है। परन्तु प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उभयपक्ष की साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर तनकियात कामय कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन मामले में अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज होने के उपरान्त दिनांक 24.5.2016 की पेशी हेतु नोटिस जारी किये गये । दिनांक 24.5.2016 को कोई आदेशिका लिखी ही नहीं गई । सीधे ही दिनांक 6.6.2016 को केम्प कोर्ट मंगरोप में प्रकरण रखा जाकर उसी दिन फैसला सुना प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया । इस पेशी पर नोटिस बात तामिल अथव अदम तामिल प्राप्त होने संबंधी कोई अंकन नही किया गया है। जबकि यदि नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के उपरान्त उनके विरूद्ध नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही किये जाने का अंकन किया जाना चाहिये था एवं यदि अदम तामिल आने की स्थिति में पुनः नोटिस जारी किये जाने चाहिये थे। मूल वाद में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पक्षकारों के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है । प्रकरण को राजीनामे से निस्तारण नहीं किया गया है। उसके उपरान्त भी अपीलाधीन प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

8. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर तनकिवाईज गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.12.17 को उपस्थित रहें।

9. निर्णय आज दिनांक 27.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

27/10/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा